



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 532 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-55/2020-26533 (HRMS)--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राँची जिले के काँके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे जुमार नदी एवं सरकारी जमीन घोटाले में इनकी संलिप्तता प्रतिवेदित करते हुए निलंबित करने की अनुशंसा की गई है ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-571(HRMS), दिनांक 19.01.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं विभागीय पत्रांक-402, दिनांक 20.01.2021 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

3. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-263(ii)/स्था०, दिनांक 22.02.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध काँके अंचल के मौजा-नगड़ी, थाना सं०-53 के खाता सं०-136, प्लॉट सं०-2308 एवं 2381, रकबा क्रमशः 0.39 एवं 20.20 एकड़ भूमि, जो नदी के रूप में दर्ज है, को भू-माफिया द्वारा मिट्टी भरवा कर समतलीकरण को

नजरअंदाज करना एवं किये जा रहे अतिक्रमण में संलिप्तता, उक्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को नजरअंदाज करने, दिनांक 10.11.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजी गई प्रतिबंधित भूमि की सूची में उक्त अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डालने एवं कार्य/दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

4. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-855(HRMS), दिनांक 24.01.2022 इनके विरुद्ध द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-105, दिनांक 11.05.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

5. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-21733(HRMS), दिनांक 19.06.2023 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया तथा संकल्प सं०-23675(HRMS), दिनांक 22.08.23 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया एवं विभागीय आदेश सं०-292, दिनांक 11.01.2024 द्वारा इनके निलंबन अवधि दिनांक 19.01.2021 से 18.06.2023 तक का विनियमन इस शर्त के साथ किया गया है कि उक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना मात्र पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी ।

श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्प सं०-23675(HRMS), दिनांक 22.08.23 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2703378, दिनांक 21.06.24 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-23675(HRMS), दिनांक 22.08.2023 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है तथा उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 10.06.2024 को समर्पित किया गया है। जबकि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-26 के अनुसार दण्ड अधिरोपण के 90 दिनों के अंदर अपील अभ्यावेदन समर्पित किया जाना है। श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन लगभग 10 माह पश्चात् दिनांक 10.06.2024 को समर्पित किया गया है तथा अपील अभ्यावेदन विलंब से समर्पित करने हेतु कोई पर्याप्त कारण भी नहीं दर्शाया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है ।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR 110002910660	श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
